दिनांक 03.05.2023 को सम्पन्न हुई जिला स्तरीय उद्योग मित्र बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

01 सर्व श्री युगल किशोर पन्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय उद्योग मित्र, ऊधम सिंह नगर।
02 श्री विशाल मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
03 श्री विपिन कुमार, सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ऊधम सिंह नगर।
04 श्री मनीष बिष्ट, क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पंतनगर।
05 डॉ0 एम0एस0 जंगपांगी, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, विकास भवन, ऊधम सिंह नगर।
06 श्री कमल किशोर कफलटिया, क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल काशीपुर।
07 श्री रविन्द्र सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, सितारगंज।
08 श्री कृष्ण सत्यवली, अध्यक्ष, सितारगंज सिडकुल इण्डस्ट्रीज कल्याण समिति।
09 श्री दुर्गेश मोहन, महासचिव, सितारगंज सिडकुल इण्डस्ट्रीज कल्याण समिति।
10 श्री रमेश मिड्डा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कोमर्स इण्डस्ट्रीज।
11 श्री आलोक कुमार गोयल, महासचिव, कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कोमर्स इण्डस्ट्रीज।
12 श्री अशोक बंसल, सदस्य, कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कोमर्स इण्डस्ट्रीज।
12 श्री राजेश मिश्रा, समन्वयक, सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी, पन्तनगर।
13 श्री मधुप मिश्रा, प्रतिनिधि, आई0जी0एल0, काशीपुर।
14 श्री मोहित देव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट।
15 श्री भूपेश, ए0एम0ए0, पार्ले एग्रो, पन्तनगर।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत करने के साथ–साथ उपस्थित औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों एवं अन्य उद्यमियों का स्वागत किया गया। साथ ही उक्त बैठक के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि राज्य में संचालित एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 (यथा संशोधित) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो होनी थी, जिसकी समयावधि 30 जून, 2023 तक विस्तारित कर दी गई है। उक्त नीति के समाप्त होने के कारण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं औद्योगिक स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एम0एस0एम0ई0 नीति 2023 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून द्वारा उक्त ड्राफ्ट इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराया गया है कि उद्योगपतियों एवं समस्त हितधारकों से प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट पर चर्चा कर सुझाव प्राप्त कर उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराये जाये। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बिन्दु संख्या 01– सेवा क्षेत्र को प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में – बैठक में उद्योगपतियों द्वारा चर्चा के दौरान प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति 2023 में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित न किये जाने पर अवगत कराया गया कि विनिर्माण क्षेत्र के साथ–साथ सेवा क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेन्ट आदि में भी बड़े स्तर पर निवेश होता है एवं रोजगार सृजन भी होता है। साथ ही अवगत कराया गया कि पर्वतीय जनपदों भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वहां पर सेवा क्षेत्र की इकाईयां स्थापित होने की सम्भावना अधिक है, जिस कारण प्रस्तावित नीति में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना अत्यावश्यक है।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ऊ0सिं0नगर।

बिन्दु संख्या 02– संयंत्र मद में की गई नई व्यवस्था के संबंध में – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि संयंत्र मद में पहले मात्र मशीनरी को ही आंगणित किया जाता था परन्तु प्रस्तावित नीति में औद्योगिक प्रयोजन हेतु सब–स्टेशन अथवा टांसफार्मर अधिष्ठापित किये जाने की लागत, मशीनरी के संचालन के लिए आन्तरिक विद्युत लाईनों, स्विच बोर्ड, एम0सी0बी0 बॉक्स आदि, बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव पॉवर प्लान्ट (कैप्टिव पावर प्लान्ट को प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी विचारित किया जायेगा जब इससे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये ही किया जाये), गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिए संयंत्र, डीजल जनरेटर सेट्स और बॉयलर, ई0टी0पी0 संयंत्रों को भी संयंत्र मद में आंगणित किया जायेगा। इस पर बैठक में उपस्थित समस्त औद्योगिक संघों एवं उद्यमियों द्वारा उक्त व्यवस्था का स्वागत किया गया एवं इसे उद्यमियों के हित में बताया गया।

क्रमशः पेज–02––

बिन्दु संख्या 03– आच्छादित श्रेणी के संबंध में – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति प्रस्तावित नीति में भी जनपद ऊधम सिंह नगर को डी श्रेणी में रखा गया है। इस पर उद्यमियों द्वारा अनुरोध किया गया कि जनपद ऊधम सिंह नगर को पर्वतीय जिलों की भांति लाभ प्रदान किया जाना चाहिये चूंकि राज्य की औद्योगिक प्रगति में ऊधम सिंह नगर का उच्च स्तरीय योगदान है। यदि जनपद में उद्योगों को सब्सिडी व अन्य सुविधाओं का अतिरिक्त लाभ अनुमन्य किया जायेगा, तो इससे जनपद में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो कि जनपद सहित राज्य एवं देश हित हेतु अत्यावश्यक है।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ऊ0सिं0नगर।

बिन्दु संख्या 04– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की पात्रता श्रेणी की गणना के संबंध में – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की श्रेणी का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है, जो निम्न प्रकार है –

क्षेत्र की श्रेणी	सूक्ष्म इकाई (निवेश रू0 1 करोड़ एवं टर्नओवर रू0 05 करोड़ तक)	लघु इकाई (निवेश रू0 10 करोड़ एवं टर्नओवर रू0 50 करोड़ तक)		मध्यम इकाई (निवेश रू0 50 करोड़ एवं टर्नओवर रू0 250 करोड़ तक)
	रू0 01 करोड़ तक	रू0 01 से 05 करोड़ तक	रू0 05 से 10 करोड़ तक	रू0 10 से 50 करोड़ तक
डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू0 20 लाख)	रू0 20 लाख + रू0 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत (अधिकतम रू0 60 लाख)	रू0 60 लाख + रू0 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का 06प्रतिशत (अधिकतम रू0 90 लाख)	रू0 90 लाख + रू0 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का 1.5 प्रतिशत (अधिकतम रू0 1.50 करोड़)

इस पर समस्त उद्यमियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

बिन्दु संख्या 05– पूंजीगत सहायता के आगणन के संबंध में – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी नीति में 15 प्रतिशत पूंजीगत उपादान सहायता उपलब्ध कराई जाती थी, जिसे प्रस्तावित नीति में बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इस पर औद्योगिक संघों/उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी नीति में उपादान एक किस्त में ही प्रदान किया जाता था, जिसे अब 07 वर्षों में 07 समान किश्तों में प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है, जो कि उद्यमियों के हित में नहीं है। इस व्यवस्था में सब्सिडी से ज्यादा ब्याज उद्यमियों द्वारा बैंकों को भुगतान कर दिया जायेगा।

इस पर औद्योगिक संघों द्वारा सुझाव दिया गया कि पूंजीगत सहायता 02 समान किश्तों में प्रदान की जानी चाहिये। प्रथम किश्त इकाई का भवन निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण होने पर तथा शेष 50 प्रतिशत उत्पादन कार्य प्रारम्भ होने पर प्रदान की जानी चाहिये।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ऊ0सिं0नगर।

बिन्दु संख्या 06– अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति में कुछ विशेष श्रेणी के उद्योगों, महिला उद्यमियों, अनु0जा0 एवं अनु0ज0जा0 के उद्यमियों को अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता के रूप में सूक्ष्म इकाईयों को अधिकतम रू0 05 लाख, लघु इकाईयों को अधिकतम रू0 10 लाख तथा मध्यम इकाईयों को अधिकतम रू0 15 लाख का उपादान उपलब्ध कराया जायेगा। अतिरिक्त उपादान हेतु निम्न गतिविधियां पात्र होंगी –

1. औषधीय, हर्बल एवं सुगन्ध पौध, नेचुरल फाइबर तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग।

क्रमशः पेज–03–

2. परूल से ब्रिकेट्स/पेलेट्स विनिर्माण।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
4. सम्बन्धित जनपद में ''एक जनपद दो उत्पाद''
5. योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम।
6. राज्य के जी0आई0 टैग प्राप्त उत्पाद।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग।
8. महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित विनिर्माणक उद्यम। (उद्यम की अधिकारिता में इस श्रेणी के उद्यमियों की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत अनिवार्य होगी)

बिन्दु संख्या 07 – **CGTMSE** प्रतिपूर्ति के संबंध में – बैठक में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु चर्चा के दौरान सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नीति अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इकाईयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर बैंक द्वारा ली जाने वाली वार्षिक गारन्टी फीस की 03 वर्ष तक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस पर उद्यमियों द्वारा उक्त व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 में बैंक ऋण पर ब्याज उपादान प्रदान किये जाने की व्यवस्था थी जबकि प्रस्तावित नीति में ब्याज उपादान का उल्लेख ही नहीं किया गया है।

उद्यमियों द्वारा पूर्व की भांति ब्याज उपादान को प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति 2023 में सम्मिलित करते हुए 05 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ऊ0सिं0नगर।

बिन्दु संख्या 08 – राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में – औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा जनपद में औद्योगीकरण को बढ़ाने एवं प्रस्तावित नीति को आकर्षक बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले निम्न शुल्कों पर छूट प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया –

1. स्टाम्प शुल्क – औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गई भूमि पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रदान की जानी चाहिये।
2. मण्डी शुल्क – खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहिये।
3. नगर निगम/नगर पालिका द्वारा लगाये गये करों में छूट – औद्योगिक इकाईयों को 10 वर्षों तक नगर निगम/नगर पालिका द्वारा लगाये जाने वाले कर से 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहिये।
4. विद्युत उपादान/विद्युत देयकों में छूट – वाणिज्यिक इकाईयों को विद्युत देयकों में 75 प्रतिशत की छूट/प्रतिपूर्ति 05 वर्षों तक की प्रदान की जानी चाहिये।
5. एस0जी0एस0टी0 में छूट – राज्य सरकार द्वारा वसूल की जानी वाली एस0जी0एस0टी0 पर 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहिये।
6. इलेक्ट्रोनिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट – एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 एवं सिडकुल पंतनगर के उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में अधिकांश इकाईयां ऑटोमोबाइल उत्पादन से संबंधित हैं, जिसे भविष्य में इलेक्ट्रोनिक वाहनों के उत्पादन में शिफ्ट किया जा सकता है। इस हेतु राज्य सरकार को प्रोत्साहन के रूप में इलेक्ट्रोनिक वाहनों के पंजीकरण में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जानी चाहिये। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि कई राज्यों में इलेक्ट्रोनिक वाहनों के निर्माण हेतु औद्योगिक इकाईयों द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा विभिन्न करों में छूट प्रदान करना एवं पर्यावरण संरक्षण है।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ऊ0सिं0नगर।

बिन्दु संख्या 34– सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत उद्यमियों को आ रही परेशानियों को दूर कराए जाने के सम्बन्ध में – बैठक में औद्योगिक इकाईयों द्वारा अवगत कराया गया कि सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत उद्योग विभाग में ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात विभिन्न विभागों में उद्यमियों को स्वयं जाकर कागजात जमा कराने की आवश्यकता पड़ती है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला

क्रमशः पेज–04––

उद्योग केन्द्र द्वारा ही अन्य विभागों से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करायी जानी चाहिए तथा सभी विभागों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जाने चाहिए। यदि निश्चित समय सीमा के अन्दर कोई विभाग अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं देता है, तो उस विभाग की स्वतः ही अनापत्ति माने जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दु नीतिगत प्रकरण से संबंधित है, जिस पर शासन स्तर से ही कार्यवाही सम्भव है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया गया कि वे उक्त प्रकरण से निदेशक उद्योग निदेशालय, देहरादून को पत्र प्रेषित कर अवगत करायें।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊ0सिं0नगर।

प्रस्तावित एमएसएमई नीति–2023 के ड्राफ्ट पर चर्चा उपरान्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसी सभी परियोजनायें, जिनकी स्थापना हेतु एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नई नीति लागू होने की तिथि से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, किन्तु जिन्होंने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है, को एमएसएमई नीति–2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए नयी नीति लागू होने की तिथि से 12 माह के भीतर अपना उत्पादन प्रारम्भ करते हुए निर्धारित समयावधि में वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। ऐसी नयी एवं पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाईयां, जो एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नए उद्यम की स्थापना/विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति जारी होने की तिथि या इसके पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करती हैं, तो वह एमएसएमई नीति–2023 के तहत शासित होंगी एवं जो इकाईयां एमएसएमई नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) के तहत लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे इकाईयां इस नीति के प्राविधानों एवं शर्तों पर अपनी अर्हता समाप्त होने तक या पात्र अवधि पूर्ण होने तक, जो भी पहले घटित हो, प्रोत्साहन प्राप्त करना जारी रखेंगी।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उद्यमियों को निर्देशित किया गया कि उक्त बैठक में की गई चर्चा के क्रम में प्रस्तावित एम0एस0एम0ई0 नीति 2023 हेतु अपने सुझाव महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को उपलब्ध करा दें एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि वे औद्योगिक संघों एवं उद्यमियों से प्राप्त सुझावों को संकलित कर उनके माध्यम से महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून को प्रेषित किये जाने हेतु पत्र तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय सहित बैठक में उपस्थित औद्योगिक सघों के प्रतिनिधियों एवं उद्यमियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(विपिन कुमार)
महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव
जिला उद्योग केन्द्र
ऊधम सिह नगर।

(युगल किशोर पंत)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय उद्योग मित्र
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय – जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर

पत्रांक...../ जि0उ0के0/जिला उद्योग मित्र बैठक/2023–24/दिनांक–

1. प्रमुख सचिव महोदय, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मंडल, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, ऊधम सिंह नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त सदस्य, उद्योग मित्र समिति, ऊ0सिं0न0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
ऊधमसिंह नगर।